13% आईडीबीआई एसएलआर बांड 2007 (63वीं श्रृंखला) की चुकौती

मुंबई, 13 **अगस्त** 2007 **:इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. (आईडीबीआई)** सभी संबंधितों की सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 13% आईडीबीआई एसएलआर बांड 2007 (63वीं श्रृंखला) की मूलधन राशि, उस पर देय ब्याज के साथ 24 सितम्बर 2007 को सम मूल्य पर देय है. अतः 22 सितम्बर 2007 के बाद इन बांडों पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा. 63वीं श्रृंखला के लिए खाता बंदी 23 अगस्त 2007 से होगी और 22 अगस्त 2007 के बाद अंतरण का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा.

जिन निवेशकों ने बांडों को वचनपत्र के रूप में धारित कर रखा है वे अपने बांड आईडीबीआई के संबंधित कार्यालय, जिसमें उन्हें पिछली बार मुखांकित करवाया गया था, को अधिमानतः 23 अगस्त 2007 से पहले सौंप दें ताकि समय पर चुकौती की जा सके. वचनपत्रों के पृष्ठ भाग पर धारक (कों) द्वारा निम्नानुसार विधिवत उन्मोचित कर चुकौती के लिए प्रस्तुत किया जाये :

''**इस बांड की मूलधन राशि प्राप्त की**''

(धारक या उसके प्राधिकृत अटर्नी के हस्ताक्षर)''

जिन निवेशकों ने आईडीबीआई में ''खाते में प्रविष्टि'' के रूप में निवेश कर रखा है वे संबंधित धारिता प्रमाण-पत्र के साथ मूलधन राशि के लिए निर्धारित प्रारूप (फॉर्म XIV) में प्राप्ति रसीद **इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि.(आईएसआईएल)**, **आईडीबीआई बिल्डिंग**, **दूसरी मंज़िल**, **'ए' विंग**, **सेक्टर** 11, **प्लाट नं.** 39,40,41, **सीबीडी बेलापुर**, **नवी मुंबई**-400 614 (**टेलीफोन नं.** 022-27579636-40) को भेजें. समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए आईएसआईएल को दस्तावेज उपर्युक्त पते पर 23 अगस्त 2007 से पहले अवश्य भिजवायें.

यदि बांड डिमैट रूप में धारित हैं तो बांडधारकों को आईडीबीआई को कोई दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं है. ये बांड एनएसडीएल/सीडीएसएल के जरिये संबंधित ग्राहक आईडी/डीपीआईडी/ आईएसआईएल सं. आईएनई008ए09265 से स्वतः नामे हो जायेंगे. मोचन राशि निवेशक को भेज दी जायेगी.